



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
वहीदन वगै० बनाम हनीफ वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निपेधाजा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष (प्रार्थी,अप्रार्थीगण) को जयें अस्थाई निपेधाजा दिनांक 05.11.2024 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी हाल ख० नं० 1026 रकबा 2.2500हे०, 1040 रकबा 1.4500हे०, 1044 रकबा 0.4600हे०, 1046 रकबा 0.7700हे०, 1048 रकबा 1.0500हे०, 1049 रकबा 1.0500हे०, 1050 रकबा 1.3500हे०, 1051 रकबा 1.3500हे०, 1052 रकबा 0.2200हे०, 1053 रकबा 0.2200हे०, 1054 रकबा 1.4400हे०, 1055 रकबा 1.000हे०, 1056 रकबा 3.2100हे०, 1057 रकबा 0.7500हे० वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढ़बास पर विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफेसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलवाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 05.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास(खैरथल-तिजारा)</p>	

३०/११/२५ वकील पसुहागम उप० वास्ते जताव अपार्थी नं० २१, २२ एवं गॉरे  
नागीद गेप अपार्थी दिनांक ११/१२/२५ को पेश हों। 

११/१२/२५...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक ५/०२/२५  
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

12/05/25 तमीन खसराप उप। वस्ति पत्राव अधी सं. 21, 22 एवं गौर  
तमीन नोष अधी दि. 13/05/25 को वेग ले।

सप्लीक अधिकारी  
किसानगढ़वास (खैरथल-1)

12/05/25 पत्रावली पेश की। जी. आ. साहब  
अपने कार्य में व्यस्त हैं, बिना पत्रावली के।  
अपराध के अति उप. आयुक्त विभाग 11/5/25  
को पेश करें।

सिद्ध

14-5-25 पत्रावली पेश की। जी. आ. साहब  
अपने कार्य में व्यस्त हैं, बिना पत्रावली के।  
अपराध के अति उप. आयुक्त विभाग 2-7-25  
को पेश करें।

02/07/25 कहीन पत्रावली उप। वस्ति पत्राव अधी सं. 21, 22 एवं गौर  
तमीन नोष अधी दि. 13/05/25 को वेग ले।  
सप्लीक अधिकारी  
किसानगढ़वास (खैरथल-तेजपुर)

13/05/25 पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। अपत्र अ मूलवाद नोटिस  
कर विमा गया है। अतः अपत्र रात्र रात्र भी पत्रावली नोटिस  
व्यक्ति किया जाता है। पत्रावली पेशक सुमार लेकर संवत्  
मूलवाद रहे।  
सप्लीक अधिकारी  
किसानगढ़वास (खैरथल-तेजपुर)